न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

151/21

1. पारसकंवर पुत्री जतनकंवर
जाति–राजपूत निवासी आदर्श कॉलोनी डीडवाना रोड़ जायल जिला नागौर

बनाम –

1. श्यामसुन्दर पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी सिराको की ढाणी चुई तहसील डेगाना जिला नगौर
2. बबूलाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी जाटो की ढाणी माल्यावास जिला जयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन आदेश–7 नियम 11 सी.पी.सी दिनांक 08.09.2021
वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री इन्दसिंह राठौड़ अप्रार्थी की ओर से।

दिनांक : 30/12/2021

मुकदमा नं. 151 / 2021

— : : आदेश : :—

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण (अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण) संख्या 1 श्यामसुन्दर ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 08.09.2021 को हस्तगत प्रकरण मे जरिये अधिवक्ता पेश किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को पत्रावली पर लिया गया तथा प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी (वादी) को दिलाई गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया की वादिनी ने न्यायालय हाजा में इकरारनामा के आधार पर खातेदारी घोषणा के लिए वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जबकि वादीनी स्वयं द्वारा प्राथी श्यामसुन्दर के पक्ष में बैचान रजिस्ट्री करवाई जाकर कब्जा सुपुर्द किया इसी के आधार पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए है। उक्त प्रकरण में वादीनी स्वयं ने स्वीकार किया है कि 15000000 अक्षरे एक करोड़ पचास लाख रूपये प्रतिवादी से उधार लिये थे तथा उसी ऐवज में रजिस्ट्री करवाई थी तथा 1 वर्ष का कोल था। ऐसे इकरारामें के आधार पर माननीय न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नहीं है क्योकि उक्त इकरारनामें के अनुसार एक बहुत बड़ी राशि का विवाद है तथा माननीय न्यायालय हाजा को राशि से संबंधित विवाद तय करने का कोई हक अधिकार नहीं है; अतः वादीनी के वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार नहीं होने से एवं बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जावे।

2. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 को स्वीकारते हुए अन्य पेराज को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि वादिया ने खसरा नं. 2519 रकबा 5.9424 हैक्टेयर में से 1295/29712 है. जिस पर वादीनी का कब्जा काश्त व रहवासी फार्म बना हुआ है। ये तथ्य गलत है कि विादीनी पारस कंवर ने

रजिस्ट्री करवाई थी जिसमें कब्जा सुपुर्द का अंकन हो बल्कि इकरारनामें का लिखा हुआ है जिससे
श्यामसुन्दर पाबन्द रहेगा, उक्त जगह का बैचान वादिनी कि जानकारी के बगैर बिना विधीक नोटिस
के किया जाने के कारण शून्य व अवैध है।उक्त भूमि आज दिन तक राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि
बारानी–3 किश्म दर्ज होने से न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना पड़ा एवं बैचाननामा निरस्ती का
वाद नहीं है बल्कि घोषणा खातेदारी का वाद है। वादीनी का वाद राजस्व रिकोर्ड के अनुसार घोषणा
खातेदारी का है न कि लेन--देन का। वादीनी का वाद राजस्व प्रकृति का हाने से श्रीमान न्यायालय
का श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा विधि द्वारा वर्जित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना
अधीन आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।
वकुलाय की सहमति पर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस हेतु तारीख नियत की
जाकर बहस सुनी गई।
वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि
वादीनी ने न्यायालय हाजा में इकरारनामें के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया है।
जबकि वादीनी स्वयं द्वारा प्राथी श्यामसुन्दर के पक्ष में बैचान रजिस्ट्री करवाई जाकर कब्जा सुपुर्द
किया इसी के आधार पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए है एंव इसी पंजियन सुधा दस्तावेज
नामान्तकरण की कार्यवाही की गई जो कि विधि सम्मत है। उक्त प्रकरण में वादीनी स्वयं ने स्वीकार
किया है कि 15000000 अक्षरे एक करोड़ पचास लाख रूपये प्रतिवादी से उधार लिये थे तथा उसी
ऐवज में रजिस्ट्री करवाई थी तथा 1 वर्ष का कोल था। ऐसे इकरारामें के आधार पर माननीय
न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त इकरारनामें के अनुसार एक बहुत
बड़ी राशि का विवाद है तथा माननीय न्यायालय हाजा को राशि से संबंधित विवाद तय करने का
कोई हक अधिकार नहीं है। वादी ने न्यायलय को गुमराह कर एक पक्षीय अन्तरिम निषेद्याज्ञा प्राप्त
कर ली है। हस्तगत प्रकरण सिविल प्रकृति का है एवं इकरारनामे कि पालना सिविल सूट के मार्फत
ही हो सकती है। वादीनी द्वारा दो तीन इकरारनामे प्रस्तुत किये जो की रजिस्ट्रर्ड भी नहीं है। अतः
वादीनी का वाद सिविल नेचर का होने के कारण माननीय न्यायलय को सुनने का श्रवणाधिकार व
क्षेत्राधिकार नही होने से एवं चार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जावे।
वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंधी वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये
निवेदन किया कि प्रार्थीगण यह साबित करे कि वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित कैसे है जबकि खसरा नं.
2519 रकबा 5.9424 है. में से 1295 / 29712 है. पर वादीनी का कब्जा काश्त व फार्म हाउस बना है
जो वादीनी कि सम्पत्ति है। उक्त भूमि कि किश्म राजस्व रिकोर्ड में बारानी–3 दर्ज होने से वाद पेश
करना पड़ा। वादीनी ने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। वादीनी व प्रतिवादी के मध्य एक इकरारनामा हुआ
जिसमें अंकन है कि उक्त भुमि पर कब्जा वादीनी का रहेगा। उक्त इकरारनामें कि पालना प्रतिवादी
द्वारा नहीं कि गई है। उक्त भूमि का बैचान वादीनी की जानकारी के बिना किया गया एवं वादीनी
को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया। वादीनी का वाद घोषणा खातेदारी का है ना कि राशि लेन
देन का एव अपनी सम्पति की सुरक्षा हेतु पेश किया गया। वादीनी का वाद राजस्व प्रकृति का होने
से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादानी ने वाद में अपने अनुतोष में केवल
घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का अनुतोष मांगा है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीन
आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

2

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी., वाद पत्र का
अवलोकन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश

सहायक कलक्टर
(एस.ओ.) जायल

7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया जिसके तहत वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा –

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
2. जहां दावा कृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी को मुल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समयावधि के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावा कृत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्पपत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समयावधि के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र में किये गये कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य एक बैचान रजिस्ट्री पजियन हुई है, साथ ही दो तीन इकरारनामे किये गये है जो की पंजिबद्ध नहीं है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में उधार रकम कि ऐवज में रजिस्ट्री करवाया जाना अंकित है, वाद पत्र के पैरा संख्या 2 न इकरारनामें के आधार पर बैचान रजिस्ट्री के गिरवी का उल्लेख करते हुए उधार रकम चुकाने के कारण वादिनी उक्त भू–भाग पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने कि हकदार है। पैरा संख्या 3 में उक्त बैचान प्रतिवादी सख्या 2 के पक्ष में किया जाना विहित है, **पैरा संख्या 4 में वाद हैतुक गिरवी मकान कि रजीस्ट्री वादिनी के नाम करवाने से इनकार करने पर उत्पन्न हुआ अंकित किया है।** प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में वाद पत्र एवं जवाब दावा का अवलोकन किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में **"जहा वाद पत्र में किये गये कथन से यह प्रतीत होता है वाद विधि द्वारा वर्जित है "** पूर्णत लागू होता है क्योंकि वाद हेतुक बैचान रजिस्ट्री वापस वादिनी के नाम नहीं करवाये जाने पर पैदा हुआ था कि अपजिंकृत इकरारनामें के आधार पर किया जाना था अर्थात इकरारनामें की पालना नहीं हुई है, इकरारनामें की पालना **specific performance, u/s 15 Specific Relief Act** के तहत सिविल न्यायालय के क्षत्राधिकार का प्रकरण है। अतः हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं बार्ड बाई लॉ (विधि द्वारा वर्जित) होने से हम वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

– : : आदेश : : –

अतः प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीनी का वाद अधीन धारा 88, 188 न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं बार्ड बाई लॉ (विधि द्वारा वर्जित) होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30/12/2021 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

30/12/2021

(रवीन्द्र कुमार),
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर